

आदेश

उपायुक्त, कैथल के पत्र क्रमांक 1645/पंचायत दिनांक 13.03.2025 द्वारा की गई सिफारिश अनुसार ग्राम पंचायत शेरगढ खण्ड कैथल तथा ग्राम पंचायत जखौली कमान, खण्ड राजौन्द, जिला कैथल के सरपंचों की मृत्यु होने के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति के रख-रखाव तथा ग्रामवासियों के हित में ग्राम पंचायतों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राजौन्द को नये सरपंच के चुनाव तथा आगामी आदेशों तक हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 49 में वर्णित प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत शेरगढ तथा ग्राम पंचायत जखौली कमान के प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं।

चण्डीगढ़, दिनांक
03.04.2025

अमित कुमार अग्रवाल, आई0ए0एस0
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग।


पृ0 क्रमांक ई0सी0ए05-2025/16284-290

दिनांक : 03/04/2025


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, कैथल को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 1645/पंचायत दिनांक 13.03.2025 के संदर्भ में यह भी अनुरोध किया जाता है कि रिकार्ड हेतु विषयधीन केस के मूल दस्तावेज इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, चूंकि अनुमति में इसका उल्लेख किया गया है।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कैथल।
4. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
5. कार्यकारी अभियंता (आई0टी0) मुख्यालय को विभागीय की वेबसाइट पर आदेश को अपलोड करवाने हेतु।
6. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राजौन्द (जिला कैथल)।
7. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।

Mohit


03/04/2025
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग।


03/04/25